

OPERATION CONVICTION

DISTRICT AMETHI

28.09.2018



अभियुक्त द्वारा अपने पति को लाठी डण्डों से पीट-पीटकर मारकर कुंआ में फेक देना।

मु0अ0सं0 218/18



थाना जायस पर मु0अ0सं0 218/18 धारा 302, 201 भादवि पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त दोष सिद्ध



अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई।

16.09.2026



माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद रायबरेली द्वारा अभियुक्त को दण्डित किया गया।

अभियोजन अधिकारी



श्री अवधेश कुमार पाण्डेय
एडीजीसी

पैरोकार



हे0का0 राज
कुमार सिंह
पैरोकार

का0 राज
कुमार सिंह
पैरोकार

अभियुक्त

सुनीता पत्नी
स्व0 मुकेश
निवासी अब्दूमऊ
थाना जायस
जनपद अमेठी

न्यायालय द्वारा दण्ड



सश्रम आजीवन
कारावास

+



11,000/- रुपये अर्थदण्ड

(अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास)



थाना : जायस



धारा : 302, 201 भादवि
में दोषसिद्ध



मु0अ0सं0 :
218/18

